

दैनिक

R

रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

बीएमसी चुनाव से पहले

राज ठाकरे के तेवर हुए नर्म

BJP नेताओं को निशाने पर लेने से कदर हो एजेंस

मुंबई : बीएमसी चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी द्वारा रेलवे आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारतीयों पर हमले हुए की व्याख्या हिंदी मीडिया द्वारा गलत ढंग से की गई। ठाकरे ने यह भी कहा कि इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे लेकिन यह आंदोलन यूपी और बिहार से परीक्षा देने आए छात्रों के खिलाफ नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकरे यूपी पर नरम पड़ रहे हैं लेकिन बिहार की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया है।

राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं



को किया संबोधित

आगामी मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान राज ठाकरे ने वार सावरकर पर उनकी टिप्पणियों पर राहुल गांधी की आलोचना करने से लेकर उनके चर्चे भाई उद्घव ठाकरे को निशान बनाने और उनके स्वास्थ्य के बारे में मजाक

उड़ाने तक कई विषयों पर बात की। ठाकरे ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पर भी निशान साधा और राकांपा सांसद सुप्रिया सुले पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार की भी आलोचना की।

कई लोगों को इस तथ्य से आश्वर्य हुआ कि 2008 के एमएनएस अंदोलन का जिक्र करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अंदोलन उत्तर के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

खिलाफ नहीं था। यह उन लोगों के खिलाफ था जो महाराष्ट्र की मिट्टी के लाल के अवसरों को छीनने आए थे। राज यह भी बताना नहीं भूले कि रेलवे आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर हमला हुआ वे सिफ बिहार से आए थे, उत्तर प्रदेश से नहीं। ठाकरे ने यह भी बताया कि मनसे पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन छात्रों के बीच लड़ाई 2008 में हुई थी क्योंकि छात्रों में से एक ने मनसे पार्टी कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया था। जहां मनसे प्रमुख राज ठाकरे उत्तर प्रदेश और बिहार पर अपने विचारों के बारे में मुखर रहे हैं, वहीं उनके विचारों में बदलाव को भाजपा के करीब जाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

मनी लान्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे की जमानत अर्जी मंजूर



मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को मनी लान्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दी। प्रियंक शर्मा आफ मनी लान्ड्रिंग एकट से संबंधित

मामलों की सुनवाई के लिए ऋषिकेश देशमुख एक विशेष अदालत में आज पेश हुए, जिसके बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले

में अपनी शिकायत यानी कि चार्जशीट दायर करने के बाद अदालत ने इस साल फरवरी में ऋषिकेश को समन जारी किया था। ED ने चार्जशीट में ऋषिकेश को बनाया था आरोपी

बता दें कि ED द्वारा दायर चार्जशीट में ऋषिकेश को आरोपी बनाया गया था। अदालत में पेश होने के बाद, ऋषिकेश ने अपने बकील अनिकेत निकम के माध्यम से जमानत अर्जी दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली।

इस मामले में अनिल देशमुख को मिल चुकी है जमानत

पूर्व गृह मंत्री के बेटे ऋषिकेश ने अपने आवदेन में बताया कि एज़ के मामले में आरोप जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक तत्कालीन गृह मंत्री के रूप में उनके पिता द्वारा चूक और कमीशन के कथित कृत्यों तक ही सीमित है। याचिका में कहा गया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बास्ते हाई कोर्ट ने मामले में पहले ही जमानत दे दी है।



घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक नवी मुंबई के कोपर खैरने स्थित एक होटल में हैरान कर देने वाली स्थिति सम्पर्क में आई है। जी हाँ नवी मुंबई के कोपर खैरने स्थित एक होटल में एक टेबल पर दो और साइड टेबल पर 12 लोग बैठे थे। 12 सदस्यीय गिरोह में से एक का फोन आया तो वे चिल्लाने लगे और गली-गलौज करने पर। ऐसे में तभी किनारे बैठे दो लोगों ने शोर-शराबे और गली-गलौज पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसका विरोध किया, इस विरोध के चलते शुरू में उनके बीच बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई। उन बारह आदमियों ने उन दोनों पर हमला किया। इतना ही नहीं बल्कि होटल में कुर्सियों, खाने की प्लेट और बीयर की बोतलों से हमला कर सिर पर वार किया। इस पिटाई के दौरान 12 में से कुछ लोगों ने उनके गले से चैन और मोबाइल फोन भी छीन लिया।

मार पीट की घटना होटल में सीसीटीवी में कैद-खाना खाते खाते मार पीट शुरू-मारपीट करने के बाद चैन और मोबाइल फोन लूटने के बाद आरोपी फरार हो गया। आपको बता दें कि इन सभी 12 आरोपियों के खिलाफ धारा 395, 397 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मारपीट की पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

गली गलौज का विरोध करने पर पिटाई

संपादकीय / लेख



फैसल शेख (प्रधान संपादक)

हमारे अधिकारों को समृद्ध करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्तव्य पालन ही हमारे अधिकारों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। इमानदारी से कर्तव्य पालन ही एक सशक्त राष्ट्र की सशक्त बुनियाद निर्मित करता है। दुनिया का इतिहास बताता है कि जिस भी देश में नागरिकों में कर्तव्य बोध ऊंचे दर्जे का था, उसने आशातीत उन्नति की। जापान के नागरिकों का अच्छल दर्जे का कर्तव्यबोध दुनिया में एक मिसाल बना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले तीन शब्द ह्यावी द पीपलङ्घ यानी हम लोग शब्द कहीं न कहीं हमारे कर्तव्य बोध को ही दर्शाते हैं। जो हमें बताते हैं कि हम तमाम संकीर्णताओं और निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सरोकारों को प्राथमिकता दें। विंडबना यह है कि हम बार-बार अपने अधिकारों की दुहाई तो देते हैं मगर अपने कर्तव्यबोध से मुंह फेर लेते हैं। जबकि सार्वजनिक जीवन में यदि हम इस कर्तव्य भावना का पालन करें तो लोकतंत्र की तमाम विसंगतियां दूर हो सकती हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग रखना हमारा अधिकार है, लेकिन जहां हम कानून की सीमाओं का उल्लंघन कर्तव्य दायित्वों से विमुख होकर करते हैं, वहां जटिल समस्याओं का जन्म होता है। आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हमारे कर्तव्य दायित्वों से विमुख होने का ही पर्याय है।

निस्सदैह, एक सशक्त व समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिये नागरिकों में कर्तव्यबोध अपरिहार्य शर्त है। यह जरूरत जीवन के हर क्षेत्र में है। अब चाहे यातायात का मसला हो या सार्वजनिक जीवन में आम व्यवहार हो। अपने दायित्वों से विमुख होकर किया गया हमारा कोई भी व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा होता है। कमोवेश ऐसी ही सोच कालांतर कानून-व्यवस्था की समस्या को जन्म देती है। ये कर्तव्य हमें एक आदर्श नागरिक का जीवन जीने को प्रेरित करते हैं। जो हमें इस बात का भी अहसास करते हैं कि ईमानदारी से टैक्स देने और सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हुए हमें ईमानदार रहना चाहिए।

यह जानते हुए कि हमारे द्वारा दिये गये किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से मिली जमापूँजी देश में विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। करों से अर्जित आय से बेहतर संरचनात्मक विकास, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार होता है। इसके लिये जरूरी है कि हमारे व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय हितों की सीमाओं का अतिक्रमण न करें। यह कर्तव्यबोध हमारी बस या रेल यात्रा और सार्वजनिक जीवन व्यवहार में भी होना चाहिए। चलते वाहनों से खान-पान की वस्तुओं का कदरा सङ्क पर विखरेने जैसी छोटी बातों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों में हमारा कर्तव्यबोध नजर आना चाहिए। निस्सदैह समाज में हर तरह के अपवाद हर दौर में रहते हैं, जिसमें निहित स्वार्थी तत्त्व राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते नजर आते हैं।

editor@rokthoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

पहली जिम्मेदारी!

निस्सदैह, सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में कही प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि राष्ट्र की उन्नति के लिये नागरिक दायित्वों का बोध हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सही मायनों में समर्पण और ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन ही प्रधानमंत्री द्वारा की जिम्मेदारी।

गौरतलब है कि यह बैठक 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर आगामी सुनवाई के महेनजर हुई है। बता दें कि सीएम बोम्हई आज शाम को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और शीर्ष अधिकारों

के साथ बैठक करेंगे।

मीडिया को संबोधित करते हुए, सीएम बोम्हई ने

कहा, “मैं आज नई दिल्ली के लिए

रवाना हो रहा हूं, जहां मैं जेपी नड्डा

और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतां

से मामले से जुड़ी हर चीज के बारे

में विस्तार से बात करूंगा।”

पुरानी है, महाराष्ट्र बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

गौरतलब है कि सीमा रेखा दशकों

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

बनाम कर्नाटक के नेता

सोमवार को बसवार बोम्हई

पुरानी है, महाराष्ट्र

बेलगावी (पूर्व में

बेलगाम)

के विलय पर इस आधार

पर जोर दे रहा है कि जिले में मराठी

भाषी आबादी काफी है जबकि

कर्नाटक ने इस दावे को खारिज कर

दिया है।

सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र

पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश का मामला... ! हाईकोर्ट में 30 नवंबर को होगी सुनवाई



महाराष्ट्र: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सरकार को गृह विभाग के तहत पदों के लिए आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडरों के लिए एक प्रावधान बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को इस आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका के बारे में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहुजा की खंडपीठ के सामने जानकारी दी गई। जिसमें न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगाने के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 30 नवंबर को करेगा।

यह है पूरा मामला

पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने के बाद ट्रांसजेंडर आर्य पुजारी ने ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश की। हालांकि आवेदन में केवल दो लिंग पुरुष और

महिला का उल्लेख किया गया था और तीसरे लिंग का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके कारण पुजारी ऑनलाइन पॉर्टफॉली भर सके। इसके बाद एमएटी ने 14 नवंबर को राज्य सरकार को गृह विभाग के तहत सभी भर्तियों के लिए सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया कि ट्रिब्यूनल के निर्देश को लागू करना “बेहद मुश्किल” था क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक ट्रांसजेंडरों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधानों के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई है। पॉर्टफॉली स्वीकार करने की समय सीमा पहले से ही 9/11/2022 से 30/11/2022 के बीच निर्धारित की गई है। याचिका

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद मामले में चंद्रकांत पाटिल और शंभुराजे देसाई 3 दिसंबर को करेंगे बेलगावी का दौरा... !



मुंबई : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद मामले को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र के दो मंत्रियों-चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा मुद्रे के लिए नियुक्त किया गया। दोनों मंत्री 03 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी का दौरा करेंगे।

लंबे समय से चल रहा

सीमा विवाद

दरअसल, महाराष्ट्र और कर्नाटक-इन दो राज्यों की सीमा पर स्थित बेलगाम जिला जिसे बेलगावी भी कहा जाता है। यह विवाद भारत के बड़े राज्यों के सीमा विवादों में से एक है। इस जिले में बड़ी आवादी मराठी और कन्नड़ भाषा बोलती है और लंबे वक्त से यह क्षेत्र इस विवाद का केंद्र आयोग का गठन किया। यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लिंबित है और इसे लेकर इन दिनों विवाद और

भी जयादा बढ़ गया है।
कानूनी लड़ाई के लिए कर्नाटक तैयार- बोम्मई

बता दें कि कुछ जिले कर्नाटक के अंतर्गत आए। इसके पहले यह क्षेत्र बॉम्बे जो अब महाराष्ट्र है, उसके अंतर्गत आते थे। जब यह मामला बढ़ गया तो केंद्र सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश देसाई चंद्र महाजन ने एक यह क्षेत्र इस विवाद का केंद्र आयोग का गठन किया। यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लिंबित है।

में उच्च न्यायालय से ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी क्योंकि यह अवैध और कानून में गलत था। याचिका में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि प्रक्रिया एक “जटिल कार्य और एक लंबी प्रक्रिया” थी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में सरकार को अपने विज्ञापन में आवश्यक बदलाव करने और 23 नवंबर तक इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। 25 नवंबर को, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य प्रस्तुति अधिकारी एसपी मांचेकर द्वारा यह बताने के बाद कि सरकार अभी भी दिए गए रोजगार के लिए सार्वजनिक पदों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नीति का मासौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है, ट्रांसजेंडरों के रूपों की स्वीकृति के लिए एमएटी ने 8 दिसंबर तक का

दिल्ली के स्कूल के बम से उड़ाने की धमकी... !

मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता



दिल्ली : दिल्ली के एक स्कूल में बम होने के संबंध में सूचना मिली है। दिल्ली के दक्षिण जिले के इंडियन पब्लिक स्कूल में बम होने के संबंध में एक ईमेल प्राप्त हुआ। इसके बाद वहां बम निरोधक दस्ता को भेज दिया गया। हालांकि इसे लेकर पुलिस अभी जांच और पुष्टि करने में जुट गई है। इस मामले को लेकर दक्षिण दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि इस ईमेल की जांच की जारी रही है। उहोंने कहा कि जिले की साइबर टीम इस मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को ऐसा लगा कि किसी शरारती ने ऐसा किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस अधिकारी ने जुट गई। दक्षिण दिल्ली के इंडियन पब्लिक स्कूल में बम होने की सूचना मिली है। पुलिस के अनुसार अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसके साथ ही स्कूल को जो ईमेल प्राप्त हुआ है उसकी पुष्टि की जा रही है।

मुंबई के इन 10 वार्डों में 24 घंटे पानी की कटौती...

अंधेरी होगा सबसे ज्यादा प्रभावित



मिनट से और 30 नवंबर को सुबह 8 बजकर 30 मिनट से शुरू होना है। बता दें कि मरम्मत के कार्यों में पवर्स में 300 मिमी पाइपलाइनों के साथ-साथ भारी पानी के दबाव वाली 1800 मिमी की बड़ी पाइपलाइनों के मरम्मत का काम होगा।

ये वार्ड होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

बता दें कि पानी की इस कटौती में जो कम प्रभावित होने वाले वार्ड हैं। उनमें घाटकोपर, कुर्ला, भांडुप और विक्रोली समेत कई कटौती में 30 नवंबर को पानी की आपूर्ति में कटौती होगी।

अंधेरी ईस्ट, सीप्पी, जोगेश्वरी ईस्ट, एमआईडीसी समेत अन्य उपनगरों के कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। बता दें कि आपूर्ति कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले दो वार्ड ईस्ट और वेस्ट होंगे। बता दें कि 29 नवंबर को आजाद नगर, गुंदावली जैसे क्षेत्रों में भी पानी आपूर्ति में कटौती होगी। तो वहाँ आनंद नगर और शेर-ए-पंजाब समेत कई क्षेत्रों में 30 नवंबर को पानी की आपूर्ति में कटौती होगी।

ये वार्ड होंगे कम प्रभावित

बता दें कि पानी की इस कटौती में जो कम प्रभावित होने वाले वार्ड हैं। उनमें घाटकोपर, कुर्ला, भांडुप और विक्रोली समेत कई वार्ड शामिल हैं।